(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Gobindsagar Dated Shimla-2, 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wild life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No.FFE-B-F(6)-18/99 dated 23rd October 1999, to declare **Gobind Sagar as Wildlife Sanctuary** comprising of an area of 100.00 Sq.Km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/201, further directed the State to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly been followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010) has permitted the State Government to issue the final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection)

Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, during the process of rationalization of boundaries of the Wildlife Sanctuaries and National Parks, Gobind Sagar Wildlife Sanctuary was proposed to be denotified;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Wildlfe (Protection) Act 1972, and consequent upon the order dated 1.2.2013 passed by the Hon'ble Supreme Court in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010) is pleased to denotify the Gobind Sagar Wildlife Sanctuary having an area of 100 sq. km.

By Order

Principal Secretary (Forests) to the
Goverment of Himachal Pradesh.

Endst. No As above Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याःएफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–11/2005–II गोबिन्द सागर तारीख शिमला–2, 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–18/99 तारीख 23–10–1999 द्वारा 100.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र **गोबिंद सागर** को वन्य जीव अभ्यारण्य के रुप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए सं0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल सं0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमैंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ–I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5–8–2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचनाओं को जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रकिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रकिया का सम्यक् रुप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए सं0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1–2–2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के युक्तिकरण की प्रकिया के दौरान गोबिन्द सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को अधिसूचना में से निकालना प्रस्तावित था;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आईए न0 155 (पहले आईए सं0 139/2010) में पारित ओदश, तारीख 01.02.2013 के परिणामस्वरुप **गोबिन्द सागर वन्य जीव अभ्यारण्य** के 100.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अननुसूचित घोषित करती हैं ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। दिनांक शिमला–2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश–शिमला–2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला–1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश–शिमला–1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।